

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजपुरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा व भू.अ.नि. कोर्ट की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार रेलमगरा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 42 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राजपुरा	42	वरदा पुत्र उदा खारेल का देह खाते पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर शाखा राजपुरा दरिवा	वरदा पुत्र उदा खारेल का देह खाते पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजपुरा दरिवा


 उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 राजपुरा
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- 887
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 राजपुरा
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर